राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांकः–प017(1)राज0/6/2002/15 जयपुर,दिनांकः– 5.X.2005.

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

::परिपत्र::

प्रायः यह देखने में आया है कि संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर प्रकरणों पर राय जानने हेतु, प्रकरणों को संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर कार्यालय में पदस्थापित मुख्य विधि सहायक/विधि सहायक की राय प्राप्त किये बिना ही प्रकरण भिजवा दिए जाते हैं, जो उचित नहीं है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि राय हेतु प्रकरणों को प्रेषित करते समय आपके कार्यालय में पदस्थापित मुख्य विधि सहायक/विधि सहायक की राय प्राप्त कर ही प्रकरणों के साथ संलग्न प्रेषित कर, राज्य सरकार को भिजवायें।

आज्ञा से,

5/X/05.

(के0 जी0 अग्रवाल)
शासन उपसचिव,राजस्व.